कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–506 / 2010 / XXVII(9) / 40 / स्टाम्प / 2010
देहरादूनः दिनांक 12 नवम्बर, 2010

अधिसूचना

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 सपठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियिम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 27, 47 क और 75 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) को संशोधित करने की दृश्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली, 2010

1. (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोंधन) नियमावली, 2010 कही जायेगी।
   (2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
2. उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली , 1997 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के नियम–4 मे ंनीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उप–नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप–नियम (2) रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
जिले का कलेक्टर, स्वप्रेरणा से या इस निमित्त उसको दिए गए आवेदन पत्र पर उप–नियम (1) के अधीन उसके द्वारा नियम भूमि के या गैर वाणिज्यिक भवन के निर्माण के न्यूनतम मूल्य या वाणिज्यिक भवन के न्यूनतम किराए की अशुद्वता के बारे मे लिखित रूप से अभिलिखत किये जाने वाले कराणों से, यथास्थिति, न्यूनतम मूल्य या किराए के नियत किये जाने से दो वर्ष की अवधि के भीतर पुनरीक्षित कर सकता है।	जिले का कलेक्टर स्वप्रेरणा से या इस निमित्त उसको दिए गये आवेदन पत्र पर उप–नियम (1) के अधीन उसके द्वारा नियत भूमि के या गैर वाणिज्यिक भवन के निर्माण के न्यूनतम किराए की अशुद्धता के बारे में लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, यथा स्थिति, न्यूनतम मूल्य या किराए के नियम किये जाने से दो वर्श की अवधि के भीतर पुनरीक्षित कर सकता है; (क) यदि जिले का कलक्टर सर्किल दरों के पुनरीक्षण के समय किसी क्षेत्र विशेष की सर्किल दरों का कम करता है; पूर्ववत रखता है अथवा पूर्व दरों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करता है, तो वह लिखित रूप में अभिलिखित स्पष्ट आदेश पारित करेगा। (ख)राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या इस निमित्त दिये गये आवेदन पर राज्य के किसी भाग अथवा किसी विशिष्ट सम्पत्ति की सर्किल दरों को संशोधित या पुनः निर्धारित कर सकती है।

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त।

<u>पत्रांक : 506(1)/XXVII(9)/2010/स्टाम्प–01/2005 तद्दिनांकित।</u>

<u>प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–</u>

1. महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वांल
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. न्याय/विधायी विभाग।
5. प्रतिलिपि उप–निदेशक लिथो प्रेस रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे आगामी गजट में प्रकाशित कराते हुये इसकी 200 प्रतियां वित्त अनुभाग–9 उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करा दें
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सी0एस0 सेमवाल)

अपर सचिव ।